[To be published in the Official Gazette, Extra Ordinary Part-II, Section-3, subsection (ii)]

Ministry of Corporate Affairs Notifications

New Delhi,

Dated: 26.10.2018

S.O.____(E)._ In exercise of the powers conferred by section 454 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification number S.O.831 (E) dated the 24th March, 2015, namely:-

in the said notification, -

- (a) against serial number 4, under the heading "Designation" for the word "Nainital" the word "Dehradun" shall be substituted
- (b) for serial number 16, the following shall be substituted, namely;-

"16. Registrar	of	Companies,	Whole State of Telangana";
Hyderabad			

(c) after serial number 24, the following shall be inserted, namely;-

"25.	Registrar	of	Companies,	Whole State of Andhra Pradesh"
Vijay	yawada			

2. This notification shall come into force with effect from 29.10.2018.

[F. No.1/16/2013 -CL-V P-I]

(Gyaneshwar Kumar Singh) Joint Secretary to the Government of India

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O.831 (E) dated the 24th March, 2015.

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 26 अक्तूबर, 2018

का.आ.(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 454 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ.831(अ) दिनांक 24 मार्च, 2015 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

- (क) क्रम संख्या 4 के सामने शीर्ष "पदनाम" के अंतर्गत शब्द "नैनीताल" के लिए शब्द "देहरादून" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) उल्लिखित अधिसूचना, में क्रम संख्या 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"16. कंपनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद

तेलंगाना का संपूर्ण राज्य";

(ग) क्रम संख्या 24 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"25. कंपनी रजिस्ट्रार, विजयवाड़ा

आंध्र प्रदेश का संपूर्ण राज्य"

2. यह अधिसूचना तारीख 29.10.2018 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.1/16/2013-सीएल.V पार्ट-I]

(ज्ञानश्वर कुमार सिंह) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.831(अ) दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थीं।